न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 222/2020

जीसीएमएस नम्बर : 2020/00350

प्रार्थी:– भंवरलाल पुत्र चुन्नीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी कोलपुरा (कुशालपुरा) निवासी मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. सुखदेव पुत्र चुन्नीलाल जाति ब्राहम्मण निवासी कोलपुरा (कुशालपुरा) तहसील मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली
2. ग्राम पंचायत चिरपटिया, जरिये सरपंच ग्राम पंचायत चिरपटिया तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली (राज.)

"पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994"

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री श्याम पंचारिया।
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री तरूण उपाध्याय।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

–: निर्णय :–

दिनांक : 29/09/2025

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत ग्राम पंचायत चिरपटिया द्वारा मिसल संख्या 40 वर्ष 2009/10, प्रस्ताव संख्या 01 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 40 के विरूद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गयी।

अधिवक्ता प्रार्थी ने वक्त बहस निगरानी मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि ग्राम कोलपुरा (कशालपुरा) में प्रार्थी का पुश्तैनी मकान आया हुआ है। प्रार्थी के पिता चुन्नीलाल के पहले विवाह से पुत्र प्रार्थी एवं पुत्री कुकी देवी उत्पन्न हुये तथा दुसरे विवाह से चार पुत्रीया एवं एक पुत्र अप्रार्थी संख्या 1 हुये लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 ने गलत दस्तावेजों के आधार पर सम्पूर्ण भूमि का अपने पक्ष में ही जैर निगरानी पट्टा जारी करवा दिया। उक्त भूमि का प्रार्थी के पिता ने अपने जीवनकाल में ही विद्युत कनेक्शन प्राप्त किया जिसकी जानकारी अप्रार्थी संख्या 1 को पूर्णरूपेण है। उसके बावजूद भी अप्रार्थी ने गलत दस्तावेज पेश कर अपने पक्ष में फर्जी पट्टे के आधार पर विद्युत कनेक्शन जारी करवा दिया। साथ ही विद्युत कनेक्शन के फार्म में भी उक्त मकान को पुश्तैनी होने के कथन किये है। प्रार्थी का जन्म भी इसी मकान में हुआ है। ग्राम पंचायत ने पंचायत राज नियमों के तहत प्रक्रिया अपनाये बिना ही उक्त पट्टा जारी किया है। सम्पूर्ण मिसल की कार्यवाही एक ही दिन में की गयी है। आपत्ति नोटिस सजहदृश्य स्थान पर चस्पा नहीं किया गया। गवाहों के बयान साईक्लोस्टाईल में दर्ज

अति. जिला कलेक्टर, पाली

है। बयानों में अप्रार्थी की उम्र 50 वर्ष बतायी है जबकि वास्तविकता में अप्रार्थी की उम्र 50 वर्ष से कम है। बयान फार्म में गवाह घीसी देवी है जबकि हस्ताक्षर रूप नारायण के है। मिसल के संलग्न जो शपथ पत्र है उसमें भी स्टाम्प ड्यूटी नहीं दी गयी है। सम्पूर्ण प्रक्रिया पंचायत की आदेशिकाओं में नहीं है। ग्राम पंचायत ने अपने पत्र दिनांक 04.01.2018 एवं दिनांक 11.08.2020 के द्वारा जैर निगरानी पट्टे से सम्बन्धित रेकर्ड उपलबध नहीं होना बताया। इसलिये ग्राम पंचायत द्वारा विधिविरूद्ध तरीके से जारी जैर निगरानी पट्टे को खारिज फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी के कथनों का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि जैर निगरानी मकान अप्रार्थी की माता का है तथा उसका पट्टा नहीं बना होने के कारण अप्रार्थी ने जैर मकान का अपने पक्ष में विधिसम्मत तरीके से जैर निगरानी पट्टा जारी करवाया है। ग्राम पंचायत ने अपने पत्र के द्वारा यह अवगत करवाया कि जैर निगरानी पट्टे का रेकर्ड मेरे चार्ज रिकार्ड में नहीं है इसका मतलब यह नहीं कि ग्राम पंचायत में भी यह रेकर्ड उपलब्ध नहीं हो। प्रार्थी ने कथन किया कि मेरा जन्म इसी मकान में हुआ है जबकि इस सम्बन्ध में उन्होनें कोई दस्तावेज अथवा साक्ष्य सबूत पेश नहीं किये है। आपत्ति नोटिस पर दो गवाहों के हस्ताक्षर है। ग्राम पंचायत में जिस तरह से गवाहों के बयान लिये गये उसी अनुरूप गवाहों ने बयान दिये। गवाहों की उम्र 50 वर्ष से अधिक है तथा बयानफार्म रूपनारायण एवं नेनूराम के है और उसमें घीसीदेवी सरपंच है एवं उन पर बयानकर्त्ता के ही हस्ताक्षर है। मिसल में जिन दिनाकों को आदेशिकाएँ लिखी गई है उस प्रत्येक दिन को ग्राम पंचायत में बैठक आहुत की गई है और प्रस्ताव लिये गये है। ग्राम पंचायत ने पूरी प्रक्रिया अपनाते हुये जैर निगरानी पट्टा जारी किया है। बिजली कनेक्शन से किसी के स्वामित्व का निर्धारण नहीं होता है और पंचायतीराज की धारा 97 के तहत केवल ग्राम पंचायत द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया की जांच की जाती है। प्रार्थी ने बिना विधिक आधारों के जैर निगरानी याचिका पेश की है, जिसे खारिज फरमावे।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत चिरपटिया द्वारा मिसल संख्या 40 वर्ष 2009/10, प्रस्ताव संख्या 01 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 40 के विरूद्ध पेश की है। अधिवक्ता प्रार्थी का दौराने बहस मुख्य उज्र यह था कि ग्राम पंचायत ने पुश्तैनी मकान का केवल अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जैर निगरानी पट्टा जारी कर दिया। अधिवक्ता अप्रार्थी ने विपक्षी अधिवक्ता के कथनों का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि उक्त मकान अप्रार्थी की माता के हिस्से में आया एवं उसके पश्चात् निर्बाध रूप से मेरा कब्जा होने से ग्राम पंचायत ने पंचायत नियमों के तहत जैर निगरानी पट्टा जारी किया है। इस तथ्य की पुष्टि हेतु ग्राम पंचायत से प्राप्त जैर निगरानी पट्टे की मिसल का अवलोकन करने पर पाते है कि पट्टाधारक ने अपने आवेदन–पत्र में पुश्तैनी भूमि का पट्टा बनवाने का कथन किया। इसके अतिरिक्त अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जैर निगरानी मकान पर विद्युत कनेक्शन हेतु के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण–पत्र में भी कब्जा सुदा प्लॉट में पैतृक मकान बने होने के कथन अंकित है और राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल प्रार्थना–पत्र मांग

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर पाली

अनुबन्ध पत्र में भी अप्रार्थी सुखदेव शर्मा स्वयं ने स्थान की श्रेणी पैतृक बताई है। अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपने पक्ष में केवल तर्क किये है, इसकी ताईद में कोई दस्तावेज अथवा साक्ष्य पेश नहीं किया। न्यायिक प्रक्रिया में केवल कथन करना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उसे प्रमाणित करना आवश्यक होता है। यदि प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये जाते तो कथन केवल आरोप या दावे के समान होते हैं जिनका कोई ठोस समर्थन नहीं होता इसलिये न्यायालय ऐसे कथनों को स्वीकार नहीं करता। सम्बन्धित अधिवक्ता का यह दायित्व होता है कि वह अपने कथनों को प्रमाणित करे, बिना उचित सबूत के केवल कथन करना स्वीकार्य नहीं। उपर्युक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि जैर निगरानी आराजी पुश्तैनी है, जिसमें सम्बन्धित पक्षकारों को सुने बिना किसी एक व्यक्ति के पक्ष में पट्टा जारी नहीं किया जा सकता। इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय ने अपने न्यायिक दृष्टान्त 2024(2) WLC 168 (Raj.) Banshi lal vs State of Rajasthan & Ors में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994, धारा 97, भारत का संविधान, 1950 अनु. 226, पट्टा प्रदान किया जाना–सम्पति पैतृक है तथा याची के साथ ही उसके अन्य जीवित भाईयों व बहिनों का हित (अधिकारी) इसमें है–याची इस भूमि पर पूर्ण रूपेण अपना ही अधिवास होने का दावा करता है, जिससे ग्राम पंचायत ने अकेले ही उसके नाम में, अन्य सह–स्वामियों के आक्षेपों के करने के बाद भी पट्टा जारी किया था–अभिनिर्धारित जब तक विभाजन नहीं हो जाता तथा अंशों का सीमांकन नहीं हो जाता अथवा अन्य सह–स्वामी सहमति नहीं दे देते, तब तक पट्टा जारी नहीं किया जा सकता है–अतः आदेश द्वारा इसको नामंजूर किया जाना उचित है–किसी हस्तेक्षप की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह न्यायिक दृष्टान्त 2024(5) WLC 210(Raj.) Banshi lal vs State of Rajasthan & Ors के अनुसार राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994, धारा 97, भारत का संविधान, 1950, अनु. 226–ग्राम पंचायत ने बी के पक्ष में पट्टा जारी किया था परन्तु निगरानी में इसे रद्द कर दिया गया–चुनौती–विवादित सम्पत्ति पैतृक है तथा स्वयं बी ने इस तथ्य को स्वीकार किया है–अन्यथा भी यह एच, बी के पिता के नाम में थी जिसके 4 पुत्र व 1 पुत्री है–अतः एच की मृत्यु होने पर, यह पैतृक सम्पत्ति है–महज लम्बे समय से काबिज होने से पट्टा (स्वामित्व का दस्तावेज) बी को जारी नहीं किया जा सकता है–आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया गया। हस्तगत प्रकरण में जैर निगरानी पट्टा पुश्तैनी सम्पत्ति का जारी किया गया है जिसमें सभी पक्षकारों की सुनवाई आवश्यक है, केवल एक व्यक्ति के पक्ष में बिना सभी पक्षकारों को सुने पट्टा जारी करना गलत है क्योंकि सम्पत्ति के सम्बन्ध में सभी वारिसानों के हित और अधिकार समान होते हैं, इसलिये न्यायसंगत निर्णय के लिए सभी सम्बन्धित पक्षों को अवसर देना आवश्यक होता है। सभी वारिसों को सुनना न्यायिक प्रक्रिया का मूल सिद्धान्त है ताकि किसी का अधिकार हनन न हो।

अधिवक्ता प्रार्थी का प्रमुख उज्र दौराने बहस यह भी रहा कि ग्राम पंचायत ने नियम 157 के तहत 321.75 वर्गगज से अधिक क्षेत्रफल का जैर निगरानी पट्टा जारी कर दिया जबकि पंचायतीराज नियम 157 में केवल 300 वर्गगज तक के पट्टे ही जारी किये जाने का प्रावधान है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1996 की धारा 157 का उद्देश्य पुराने गृहों के विनियमितीकरण का है तथा उक्त नियम में ग्राम पंचायत द्वारा

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

निर्धारित दरों पर 300 वर्गगज की सीमा निर्धारित की गई है। जिन मामलों में क्षेत्रफल 300 वर्गगज से अधिक है वहां जिला स्तरीय समिति द्वारा अनुशंसित दरों पर पट्टा होना चाहिए जो कि वर्तमान मामलें में निश्चित रूप से नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत माननीय न्यायालय द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 21(1) WLC (Raj.) 164 Lalit Kumar vs The State of Rajasthan के अनुसार राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994, धाराये 97, 146, 157–पट्टे के रद्दकरण की अस्वीकृति–औचित्य–पट्टा प्रत्यार्थियों के पूर्वजों के पक्ष में निर्गत प्रत्यर्थी अपने कब्जे के नियमितीकरण की मांग कर रहे–पट्टा 711 वर्गगज के लिये निर्गत जबकि नियम 157 के अन्तर्गत पट्टा 300 वर्गगज से अधिक के लिये निर्गत नहीं किया जा सकता, विशेषकर जबकि भूमि ग्राम पंचायत की होने का अथवा प्रत्यर्थियों का कोई पुराना आवास वहां होने का कोई न्याय निर्णय नहीं है–भूमि यदि विवादग्रस्त हो तो उस पर कब्जे के नियमितीकरण के लिये नियम 157 का आश्रय नहीं लिया जा सकता–पट्टा निरस्त किया–एकल न्यायाधीश और जिलाधीश के आदेश अभिखण्डित किये गये। इसी प्रकार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त 2020(1) DNJ (Raj.) 201 Kushal Singh Rajpurohit vs State of Rajasthan Thro' Secsretary Department Panchayati Raj, Jaipur & Ors. में वर्ष 2007 में ग्राम पंचायत द्वारा जारी 300 वर्गगज से अधिक क्षेत्रफल के पट्टे को निरस्त करते हुये यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि "राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 – नियम 157 के तहत निर्धारित क्षेत्रफल 300 वर्गगज से अधिक क्षेत्रफल का पट्टा जारी नहीं किया जा सकता है।"

जैर निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157 के तहत जारी किया गया है। हस्तगत प्रकरण में पट्टा जारी किये जाने के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, उसमें राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 140 से 157 में विहित प्रावधानों की पूर्ण पालना का अभाव पाया गया हैं। ग्राम पंचायत के समक्ष अप्रार्थी द्वारा पट्टा जारी करवाने हेतु जो प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया, उसके साथ किसी प्रकार का नक्शा प्रस्तुत नहीं किया गया। हस्तगत प्रकरण में गवाहों के बयान निर्धारित प्रिटेंड प्रारूप में है जिसमें सुविधानुसार नाम अंकित किया गया, जो कि पूर्णतया नियमों के विपरीत है। गवाहों के बयान व्यक्तिगत और स्वतंत्र रूप से लिए जाने चाहिए, न कि पूर्वनिर्धारित फॉर्मेट में, क्योंकि इससे गवाहों की सच्चाई और स्वतंत्रता पर सन्देह होता है, जो न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता और प्रमाणिकता के सिद्धान्तों का उल्लंघन करता है। पूर्व से प्रिंटेड बयानों में नाम भरना, गवाह के स्वतंत्र बयान को प्रभावित करता है। हस्तगत प्रकरण में जो आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया उसके सहजदृश्य स्थान पर चस्पानगी के सम्बन्ध में केवल दो गवाहों के हस्ताक्षर है उनकी वल्दियती अंकित नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी को पट्टा देने में पट्टा आवंटन के सामान्य नियमों की अनदेखी की गई हैं। इस प्रकार जैर निगरानी आज्ञा एवं उनकी पालना में जारी पट्टा विधि सम्मत नहीं है, इस कारण हस्तगत निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को कायम रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता हैं।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका आंशिक स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत चिरपटिया द्वारा मिसल संख्या 40 वर्ष

अति. जिला कलेक्टर, बारां

2009/10, प्रस्ताव संख्या 01 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 40 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्यप्रति के साथ ग्राम पंचायत का अभिलेख, ग्राम पंचायत चिरपटिया को इस आशय से प्रतिप्रेषित की जाती है कि वे पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में विहित प्रक्रिया की पालना करते हुये विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 29/09/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर पाली